न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 24 / 2023

अनवान : –

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढाणी अराईयान जरिये उपाध्यक्ष धर्मपाल पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. चानणराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
राज पेरोकार

निर्णय दिनांकः 16/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के प0न0 303 / 407(147) के किला न0 12 की भूमि गै0मु0 शमशान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 129 / 120 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गै0मु0 शमशान की भूमि मे जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए प0न0 303 / 406 मु0न0 130 के किला न0 9, 12, 19 के मिन पूर्व से होकर किला न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि से होते हुए शमशान भूमि में पंहूचते है इसलिए सायल गैरसायल स0 1 की रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129 / 120 के प0न0 303 / 407(147) के किला न0 22 मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालु है तथा शमशान भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता नही है। यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल स0 1 की भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129 / 120 के प0न0 303 / 407(147) के किला न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई ऐतराज नही है। अप्रार्थी चानणराम द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129 / 120 के प0न0 303 / 407(147) के किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हू तथा उक्त रास्ता के बदले की भूमि में मुझे कुछ भी प्रतिफल नही चाहिए मै निशुल्कः रास्ता देना चाहता हू।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129/120 के प0न0 303/407(147) के किला न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी स0 1 को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के प0न0 303/407(147) के किला न0 12 की भूमि गै0मु0 शमशान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 129/120 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी स0 1 को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129/120 के प0न0 303/407(147) के किला न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2024 / 772   दिनांकः– 18/7/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–24 / 2023 निर्णय दिनांक 16/7/24 ।

प्रकरण संख्या – 24 / 2023
अनवान : –

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढाणी अराईयान जरिये उपाध्यक्ष धर्मपाल पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. चानणराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 24 / 2023 अनवान ग्राम सेवा सहकारी समिति ढाणी अराईयान जरिये अध्यक्ष धर्मपाल पुत्र साजनराम बनाम चानणराम आदि में निर्णय दिनांक 16/7/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 129 / 120 के प0न0 303 / 407(147) के किला न0 22 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:30:17 IST
Reason: SelfAttested